फर्द अहकाम

गुल्लाराम बनाम मंगलचंद

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 25/2024

क्रं0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.08.2024	पत्रावली पेश हुई। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा जवाव मय काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया है। मौके पर कोई विवाद उत्पन्न ना हो इस हेतु उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः उभय पक्षकारान को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 589 वाकै ग्राम भोजपुराकलां में मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	